



Neutral Citation No. – 2026:AHC:17156

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5384 वर्ष 2025

रजिया बेगम

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: उत्कर्ष सिंह

प्रतिवादी के वकील

: सीएससी, जगन्नाथ मौर्य

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4/नगर पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री जेएन मौर्य की दलीलें सुनीं।
- यह याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज के प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण संख्या 2299/2022 (रजिया बेगम बनाम नगर पंचायत और अन्य), कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20220242002299 पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए परमादेश हेतु दायर की गई है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के तहत कार्यवाही के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने पुनरीक्षण याचिका के आधारों की प्रति और लंबित पुनरीक्षण याचिका की आदेशपत्र भी प्रस्तुत की ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 2299/2022 (रजिया बेगम बनाम नगर पंचायत और अन्य), कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20220242002299, पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत, पक्षकारों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से मामले की सुनवाई की जाए।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद कुमार राय, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"